संख्या- 75 /2019 / 526 /चार-2019

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 13 मार्च , 2019**

विषय:- पिप इन्सेक्टिसाइड के क्रय हेतु वास्तविक व्यय की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार लखनऊ के आपको सम्बोधित एवं शासन को पृष्ठांकित पत्र संख्या-903/पॉच-5/2016-17 दिनांक 16 नवम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय अभिलेखागार, इलाहाबाद हेतु 200 लीटर पिप इन्सेक्टिसाइड रसायन के क्रय हेतु वास्तविक व्यय रू0 89,680/- (रूपये नवासी हजार छ: सौ अस्सी मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) उपरोक्त कार्य हेतु धनराशि का आहरण नियमानुसार यथावश्यकतानुसार कोषागार से किया जायेगा। धनराशि का उपयोग स्वीकृत कार्य के लिये ही किया जायेगा, किसी अन्य मद पर व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(3) कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कराया जाय।

3- उक्त धनराशि रू0 89,680/- (रूपये नवासी हजार छ: सौ अस्सी मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92- के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-104-अभिलेखागार-03-राज्य अभिलेख-42 अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव

संख्या- 75 /2019 / 526 /चार-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/